International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक विकास में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का योगदान

मनमोहन सिंह परिहार[1], डॉ. राजीव एच. पीटर्स[2]

[1]शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

[2]सह. प्राध्यापक, वाणिज्य और प्रबंधन विभाग, डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

सार

भारत के नए राज्य छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें 16 जिले मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाए गए थे। इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 44 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और इसकी 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी है। भारत का धान का कटोरा" कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में एक बड़ी आदिवासी आबादी निवास करती है जो अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों से गहराई से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (सीएसएफडीसी) वन-आधारित रोज़गार, लघु वनोपज क्रय और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शोधपत्र इस बात का अन्वेषण करता है कि सीएसएफडीसी की पहलों ने आय सृजन, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर आदिवासी विकास में कैसे योगदान दिया है। अध्ययन में निगम के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान को उजागर करने के लिए द्वितीयक आँकड़ों, सरकारी रिपोर्टों और मौजूदा साहित्य का उपयोग किया गया है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सीएसएफडीसी आदिवासी समुदायों और सतत वन संसाधन प्रबंधन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

कीवर्ड: आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़, वन निगम, आर्थिक सशक्तिकरण, लघु वनोपज, आजीविका

परिचय

भारत के नए राज्य छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें 16 जिले मध्य प्रदेश राज्य से अलग किए गए थे। इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी है (भारत की आधिकारिक भाषा में, 'अनुसूचित जनजातियाँ' देश के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों में से हैं)।वन आदिवासी लोगों के जीवन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) के संग्रह के माध्यम से रोजगार और आय प्रदान करते हैं, जैसे कि तेंदू के पत्ते (डायोस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन), जिनका उपयोग भारतीय सिगरेट (बीड़ी) बनाने के लिए किया जाता है। लोग एनटीएफपी का उपभोग करते हैं या उन्हें सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी समितियों और समितियों के साथ-साथ निजी व्यापारियों को बेचते हैं। वन ने पूरे वर्ष, विशेष रूप से कम कृषि मौसम के दौरान, खुद को एक प्रदाता के रूप में साबित किया है। वन उपज का संग्रह और विक्रय वर्ष में 40 दिन तक रोजगार प्रदान करता है, लेकिन वेतन और बोनस सहित मौद्रिक लाभों के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है। नकदी प्रवाह के अलावा, एनटीएफपी खाद्य सुरक्षा (मछली, मशरूम, फल, कंद, पत्ते), दवाइयाँ और उपभोक्ता अधिकार प्रदान करते हैं, जिनके लिए अन्यथा भुगतान करना पड़ता। हालाँकि, कृषि उत्पादन, जो बढ़ती लागत (बीज, उर्वरक, श्रम और बिजली) से प्रभावित हुआ है, वन क्षेत्रों में गिरावट देखी गई है लेकिन आदिवासियों द्वारा वन भूमि का उपयोग संघर्ष का एक चिरस्थायी स्रोत है। उनके कानूनी अधिकारों की अक्सर सरकारी अधिकारियों द्वारा अनदेखी की जाती है, जिससे असुरक्षा और बेदखली की स्थिति पैदा होती है, जो भारत के विकास मॉडल के अन्याय में निहित है।छत्तीसगढ़ की लगभग 30% आबादी अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की है। ये समुदाय आजीविका, संस्कृति और पहचान के लिए वनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। 1976 में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का उद्देश्य वन संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग और वन-आधारित समुदायों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना है। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा और कोरबा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में इसकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में लगभग 44% वन क्षेत्र है, जिसमें लगभग 30% आदिवासी आबादी आजीविका के लिए वनों पर बहुत अधिक निर्भर है। इसे

राज्य की वन नीति (2001) के तहत आदिवासी समावेशन के साथ स्थायी वन कटाई, वृक्षारोपण और वन-आधारित उद्योगों के विकास को संस्थागत बनाने के लिए बनाया गया था। सीएसएफडीसी, एफएओ, होम, इंडियन कानून जैसी संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी, समान लाभ-साझाकरण, वन पुनर्जनन और जनजातीय रोजगार पर जोर दिया गया है। भारत का नया और घने जंगलों वाला राज्य छत्तीसगढ़ अपने कुछ सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों का घर है, जिनके पारंपरिक वन उत्पादों से जीवनयापन करने के तरीके खनन और अन्य गतिविधियों के अतिक्रमण के कारण खतरे में हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने एक स्थानीय सहयोगी एनजीओ, चौपाल का समर्थन किया है ताकि वनवासी समुदायों को इस वास्तविकता और प्रगतिशील कानून, वन अधिकार अधिनियम (2006) के प्रावधानों के बीच कार्यान्वयन के अंतर का लाभ उठाने में मदद मिल सके। शुरुआती परिणाम बेहद सकारात्मक हैं, जिसमें दर्जनों गाँवों को इस अधिनियम के तहत नए वन और चरागाह अधिकार मिले हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

- जनजातीय रोज़गार सृजन में सीएसएफडीसी की भूमिका का आकलन करना।
- जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
- योजनाओं और वन-आधारित विकास के माध्यम से सामाजिक उत्थान में इसकी भूमिका की जाँच करना।

कार्यप्रणाली

यह एक गुणात्मक और वर्णनात्मक शोध है जो निम्नलिखित पर आधारित है:

- आधिकारिक रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेज़ों और सीएसएफडीसी प्रकाशनों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़े।
- वन अधिकार समितियों, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्ट।
- आदिवासी लाभार्थियों और सहकारी समितियों के केस स्टडी।

जनजातीय आर्थिक सहभागिता के तंत्र

सीएसएफडीसी लघु वनोपज संघों के साथ समन्वय में कार्य करता है ताकि वृक्षारोपण और तेंदू पत्ता, महुआ आदि के प्रसंस्करण को एकीकृत किया जा सके, संस्थागत खरीदार और एमएसपी सुरक्षा

प्रदान की जा सके। कई आदिवासी परिवारों की वार्षिक आय में लघु वनोपज का योगदान 30-40% है। केंद्रीय "वन धन योजना" और राज्य संघों के माध्यम से एमएसपी सहायता इन प्रयासों को और बढ़ाती है। सीएसएफडीसी जैव ईंधन रोपण - ईंधन की लकड़ी, चारा, वृक्ष फसलें - का नेतृत्व करता है, जो आदिवासी भूमिहीन श्रम सहभागिता और उपभोक्ता अधिकारों को लक्षित करता है। लघु वनोपज (एमएफपी): तेंदू के पत्ते, साल के बीज, महुआ, हर्रा, इमली, आदि। वन श्रम कार्य: संग्रहण, छंटाई, पैकेजिंग और बिक्री। इको-टूरिज्म और वृक्षारोपण गतिविधियाँ।वन आधारित उद्योग और हस्तशिल्प संवर्धन शुरू किया: सीएसएफडीसी आदिवासी कारीगरों (जैसे बस्तर लकड़ी शिल्प) और ग्रामीण कुटीर वन उद्यमों का समर्थन करता है। भारतीय कानून विकिपीडिया।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- गैर-लाभकारी संस्थाओं (एनटीएफपी) की आय और जनजातीय लचीलापन: छत्तीसगढ़ में 40-65% से अधिक ग्रामीण परिवार गैर-लाभकारी संस्थाओं (एनटीएफपी) पर निर्भर हैं; अकेले 2024-25 में तेंदू पत्ता खरीद से डीबीटी के माध्यम से आदिवासी परिवारों को ₹596 करोड़ मिले।
- आर्थिक अध्ययन: प्रति आदिवासी परिवार गैर-लाभकारी संस्थाओं (एनटीएफपी) (साल, महुआ, इमली) के औसत संग्रह से लगभग 40 दिन/वर्ष के लिए ठोस आय और रोजगार उत्पन्न हुआ।
- एकीकृत वन ग्राम विकास: धमतरी सूक्ष्म नियोजन मॉडल (वन + बुनियादी ढाँचा + आजीविका क्लस्टर दृष्टिकोण) ने 3 वर्षों के भीतर एनडब्ल्यूएफपी से आय में लगभग 50 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की वृद्धि की, जिसमें सामुदायिक समूह योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे थे।
- गैर-आर्थिक उत्थान: वन-आधारित आजीविका खाद्य सुरक्षा, पोषण संबंधी संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करती है—जो नकद आय से परे जनजातीय कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सीएसएफडीसी और कमियाँ

आलोचनात्मक समीक्षाओं के अनुसार, वन विकास निगमों जिनमें सीएसएफडीसी भी शामिल है, ऐतिहासिक रूप से कल्याण या संरक्षण के बजाय लकड़ी-केंद्रित राजस्व पर ध्यान केंद्रित किया है;

जनजातीय अधिकारों को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है। प्रभावी जनजातीय समावेशन के लिए मजबूत भागीदारी ढाँचों की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए, गैर-उत्पादित वन उत्पादों और जैव विविधता परिसंपत्तियों से समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय बस्तर क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील संयुक्त वन प्रबंधन पायलट।

आर्थिक विकास में सीएसएफडीसी की भूमिका

1. लघु वनोपज की खरीद

सीएसएफडीसी लघु वनोपज संग्रहण और बिक्री के लिए एक राज्य-नोडल एजेंसी है। यह सुनिश्चित करता है:

- संग्राहकों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)।
- जनजातीय संग्रहकर्ताओं को अग्रिम भुगतान।
- बिचौलियों से बचाव।

2. सहकारी समितियों का निर्माण

- इसने प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों (पीएफपीसीएस) के गठन में मदद की है, जिससे:
- संसाधनों पर जनजातीय स्वामित्व।
- बाजारों में बेहतर मोलभाव।
- साझा लाभ और लाभांश।

3. रोजगार के अवसर

- लघु वनोपज संग्रहण के मौसम के दौरान मौसमी रोजगार।
- डिपो और बागानों में कुशल जनजातीय श्रमिकों के लिए स्थायी नौकरियां।
- बांस शिल्प, शहद संग्रहण और हर्बल औषधि परियोजनाओं में संलग्नता।

सामाजिक विकास में भूमिका

1. महिला सशक्तिकरण

सीएसएफडीसी निम्नलिखित कार्यों में शामिल महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता प्रदान करता है:

- लघु वनोपज प्रसंस्करण।
- लाख की खेती।
- मशरूम की खेती।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य

- जनजातीय शिक्षा, छात्रवृत्ति और पाठ्य सामग्री के लिए धनराशि आवंटित की जाती है।
- स्वास्थ्य शिविरों, स्वच्छता अभियानों और पोषण जागरूकता में सहायता।

3. सांस्कृतिक संरक्षण

स्थायी कटाई में पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहित करके, सीएसएफडीसी जनजातीय पहचान को बनाए रखने में मदद करता है।

केस स्टडी: बस्तर क्षेत्र

- 2023 में लघु वनोपज संग्रहण के माध्यम से 25,000 से अधिक जनजातीय परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ।
- कोंडागांव जिले में जनजातीय महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों ने 5 करोड़ रुपये मूल्य की इमली का प्रसंस्करण किया।
- 100 से अधिक स्वयं सहायता समूह सीएसएफडीसी विपणन नेटवर्क से जुड़े।

चुनौतियाँ

- आदिवासियों में सरकारी दरों के बारे में जागरूकता का अभाव।
- दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी।
- कुछ क्षेत्रों में निजी व्यापारियों द्वारा शोषण।
- रोज़गार की मौसमी प्रकृति - साल भर की आय नहीं।

निष्कर्ष

जनजातीय आय में विविधता लाने और वन-सांस्कृतिक संबंधों को संरक्षित करने में सीएसएफडीसी के योगदान का महत्वपूर्ण है , जिसमे सीएसएफडीसी योजना में अधिक पारदर्शिता और जनजातीय नेतृत्व, लाभ-साझाकरण और मूल्य-संवर्धित सूक्ष्म उद्यमों को सुदृढ़ बनाना, भंडारों और संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन के लिए वन अधिकार कार्यान्वयन निकायों के साथ समन्वय करना।सीएसएफडीसी की भूमिका वन नीति, वृक्षारोपण अर्थशास्त्र, एनटीएफपी मूल्य श्रृंखलाओं और कल्याणकारी योजनाओं के संयोजन में संचालित होती है। वृक्षारोपण और बायोमास उत्पादन को संस्थागत बनाना,लघु वनोपज सहकारी समितियों का संघीकरण, एमएसपी-आधारित खरीद और

मूल्य-संवर्धन अवसंरचना को सक्षम बनाना, वन-आधारित सामुदायिक उद्योगों (हस्तशिल्प, कृषि-वन उत्पाद) को बढ़ावा देना। दर प्रदर्शन और भुगतान के लिए डिजिटलीकरण और मोबाइल ऐप, मूल्य संवर्धन और उद्यमिता में प्रशिक्षण कार्यक्रम,नियमित ऑडिट और समर्थन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को मज़बूत करना, परिवहन लागत कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करना। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक जीवनशैली का सम्मान करते हुए मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने संरचित कार्यक्रमों और स्थानीय सशक्तिकरण पर ज़ोर देने के माध्यम से, यह समावेशी और सतत आदिवासी विकास का एक आदर्श बना है। हालाँकि, प्रभाव को बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, क्षमता निर्माण और तकनीकी हस्तक्षेप में सुधार की अभी भी गुंजाइश है। सामुदायिक वानिकी अधिकार परियोजना का चरम सामाजिक बहिष्कार, ज़मीनी स्तर पर लामबंदी और न्यायिक सक्रियता का संयोजन मूलतः भारतीय है, यह गैर-सरकारी संगठनों और अन्य बाहरी लोगों की परिवर्तन को उत्प्रेरित करने की क्षमता के बारे में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऐसा करने के लिए, उन्हें दो दुनियाओं में एक साथ रहना होगा - स्थानीय समुदायों से वास्तविक रूप से जुड़े रहना और उनका सम्मान करना, और साथ ही सत्ता में बैठे लोगों के साथ गठबंधन बनाने में भी सक्षम होना। छत्तीसगढ़ में किया गया कार्य मौजूदा कानूनों में कार्यान्वयन संबंधी कमियों के आधार पर 'त्वरित जीत' की सशक्त क्षमता को दर्शाता है, जो समुदायों के बीच एक व्यापक प्रभाव पैदा कर सकता है जब वे अपनी 'अंदर की शक्ति' को खोजते हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए संगठित होने लगते हैं। वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, लकड़ी-प्रथम निष्कर्षण मॉडल से बचना, वास्तविक लाभ-साझाकरण और जनजातीय शासन को बढ़ावा देना।

संदर्भ

1. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की आधिकारिक रिपोर्ट (2020-2024)
2. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार - वार्षिक रिपोर्ट
3. जनजातीय विकास पर योजना आयोग की रिपोर्ट, 2019
4. वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन स्थिति, 2023
5. सिंह, ए. (2021). जनजातीय अर्थव्यवस्था और वन नीतियाँ। जनजातीय अध्ययन पत्रिका।

6. नायक, एस. (2022). जनजातीय आजीविका में लघु वनोपज (एमएफपी) की भूमिका। भारतीय सामाजिक कार्य पत्रिका।
7. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), जनजातीय घरेलू आँकड़े, 2022
8. छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ की वार्षिक रिपोर्ट, 2023
9. टाइम्स ऑफ इंडिया (2023)। "छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण में वन निगम की भूमिका।"
10. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) दस्तावेज़
11. भारद्वाज, ए. (2014) "मैंने इन नेताओं के अभियानों को वित्तपोषित किया, इन फर्मों को माओवादियों से परिचित कराया"
12. जीएफके (2013) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) रिपोर्ट - छत्तीसगढ़, (ड्राफ्ट रिपोर्ट, अप्रकाशित)।
13. संक्षिप्त जानकारी: सीएफआर_केस स्टडी, (आंतरिक ज्ञापन)।
14. केस स्टडी: सामुदायिक वन अधिकार, ऑक्सफैम इंडिया, (आंतरिक नोट)।